● इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पार्किंग से 30 करोड़ की ड्रग्स के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया ● भारत में ड्रग्स का रैकेट चलाने वाला सरगना भी धरा

एयरपोर्ट से अमेरिका-दुबई भेजी जा रही थी करोड़ों की ड्रग्स

गिरफ्त में नशे के सौदागर

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 मई को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पार्किंग एरिया से 30 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें भारत में ड्रग्स का रैकेट चलाने वाला सरगना भी शामिल है। यह खेप विदेश भेजी जा रही थी।

आरोपियों की पहचान प्रवीन, आशीष, असीम और राजेंद्र के तौर पर हुई है। प्रवीन गिरोह का सरगना है। गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रग्स खरीद कर ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई और खाड़ी देशों में सप्लाई करता था। प्रवीन लंदन में बैठे अंतरराष्ट्रीय सरगना बलजीत सिंह और गजेंद्र सिंह राठौर तक नशे की खेप पहुंचाता था। डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स तस्करों के फैलते जाल को तोड़ने के लिए एसीपी अखिलेश्वर यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी।

जांच में पुलिस को पता चला कि बलजीत और गजेंद्र दिल्ली से ड्रग्स की खेप प्रवीन सैनी के जरिए विदेशों में मंगवाते हैं। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि 18 मई को प्रवीन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कस्टम कार्गो में छिपाकर ड्रग्स की खेप विदेश भेजने की तैयारी में है। विदेश भेजी जाने वाली ड्रग्स की खेप शाम को पार्किंग इलाके में पहुंचेंगी। यहां से कस्टम क्लीयर एजेंट आशीष शर्मा खेप आगे भेज देगा।

सूचना के आधार पर पुलिस ने पार्किंग एरिया से आशीष और असीम को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर प्रवीन और राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे दो किग्रा मेफेड्रोन, एक किलोग्राम मेथाक्वेलोन और डाइजाप्राम, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम एवं अल्प्राजाम ड्रग्स के कैप्सूल बरामद किए गए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है।

एक ग्राम की कीमत सात हजार : पुलिस को करीब एक किग्रा मेथाक्वेलोन ड्रग्स मिली है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में किया जाता है। हालांकि, इसका प्रयोग नशे के लिए भी किया जाता है। इसकी कीमत सात हजार रुपये प्रति ग्राम है।

पहले भी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकीं

29 मार्च 2018 : दिल्ली के विकासपुरी इलाके से चार ड्रग्स तस्करों को 29 किलोग्राम हेरोइन की खेप के साथ पकड़ा गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 125 करोड़ रुपये थी

3 नवंबर, 2017 : 438 किलोग्राम सूडो एफेड्रिन ड्रग के साथ तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

2 अगस्त, 2017 : दिल्ली पुलिस ने 'म्याऊं-म्याऊं' के नाम से मशहूर मेफोड्रोन ड्रग के साथ आठ लोगों को गिरफ्तार किया

17 मई, 2017 : 22 किलो एफेड्रिन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के जिरकपुर से एफेड्रिन लेकर दिल्ली आया था

कस्टम क्लीयर एजेंट की मिलीभगत

पुलिस को जांच में मालूम हुआ कि प्रवीन के पास एयर कूरियर का लाइसेंस है। उसके लाइसेंस पर कपिल, कैलाश और राजन ड्रग्स तस्करी करते थे। वर्ष 2016 में प्रवीण की मुलाकात लंदन निवासी जैश से हुई, जिसके माध्यम से वह बलजीत तथा गजेंद्र से मिला। बलजीत ने प्रवीण को भारत में ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले लोगों के नंबर दे दिए। इसके बाद प्रवीन कस्टम क्लीयर एजेंट आशीष, कूरियर कंपनी में लोडर असीम और राजेंद्र के साथ इस धंधे में जुड़ गया। चारों ने इस काम में अक्षित गुलिया की सहायता भी ली। कस्टम क्लीयर एजेंट अक्षित ड्रग्स की खेप को अपने जानकारों की मदद से एक्स-रे जांच से सुरक्षित निकलवा देता था। पुलिस का कहना है कि इसके बदले में कस्टम क्लीयर एजेंट अक्षित को मोटी रकम मिलती थी।

रेव पार्टियों में इन ड्रग्स की मांग ज्यादा

पुलिस के अनुसार, राजधानी में होने वाली रेव पार्टियों में कोकीन और हेरोइन के साथ प्रतिबंधित ड्रग्स जैसे डायजेपाम, मेंड्रेक्स, एफेटेमिन, मॉर्फिन, केटामाइन, मेथमफेटामाइन, एमडीएमए, पेंटाजोकिन, स्यूडोफिड्रिन, म्याऊं-म्याऊं और कॉडिन की मांग सबसे अधिक है।

दवा कंपनियां शक के दायरे में आईं

पुलिस का कहना है कि मिफेड्रोन को पार्टी ड्रग्स या म्याऊं-म्याऊं के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बाकी ड्रग्स कई बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाती हैं। मगर ये बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलने के कारण पुलिस का शव दवा कंपनियों पर गहरा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दवा कंपनियों के लिए बने उत्पाद शुल्क मुक्त क्षेत्र से इस खेप के आने की जानकारी मिली है। इसकी जांच के लिए पुलिस हिमाचल प्रदेश के बद्दी और सोलन इलाकों में जाएगी। इसके बाद ही बरामद ड्रग्स के बारे में स्थिति साफ होगी।

चिंताजनक

दिल्ली ड्रग्स तस्करी का अड्डा बनी

हाई प्रोफाइल रेव पार्टियों में खुलेआम प्रतिबंधित ड्रग्स के बढ़ते चलन और तस्करों के तेजी से फैलते नेटवर्क ने दिल्ली-एनसीआर को नशे के सौदागरों का अड्डा बना दिया है। राजधानी के तस्कर देश में विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक यहां से ड्रग्स की धड़ल्ले से सप्लाई कर रहे हैं। प्रमुख संवाददाता की रिपोर्ट....

29 मार्च को दिल्ली में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई

10 ग्राम कोकीन की कीमत सात से दस हजार रुपये तक

पाकिस्तान से आ रहा जहर

नशे का यह काला कारोबार अफगानिस्तान से यूरोप तक फैला हुआ है। अफगानिस्तान के जलालाबाद और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर फैक्टरियों में ड्रग्स तैयार की जाती हैं। यहां से नशे की खेप पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचा दी जाती है। इसके बाद ड्रग्स पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से होते हुए दिल्ली में बैठे नाइजीरियाई मूल के लोगों तक पहुंचती है, जो इसे देश के विभिन्न हिस्सों और यूरोपीय देशों तक सप्लाई करते हैं।

दुनिया की सबसे महंगी ड्रग्स

कोक, फ्लेक, चार्ली और स्नो के नाम से प्रचलित कोकीन सबसे महंगी ड्रग्स है। इसके बाद एलएसडी है, जबकि तीसरे नंबर पर 'म्याऊं-म्याऊं' के नाम से महशूर मेफोड्रोन ड्रग्स आती है। इसके बाद केटामाइन का नंबर आता है।

पेट में छिपाकर लाते हैं

इस सिंडिकेट में शामिल लोग ड्रग्स को कैप्सूल में छुपाकर निगल लेते हैं और इस तरह उसे विदेश में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद एक छोटा ऑपरेशन कर ड्रग्स को निकाल लिया जाता है। रविवार को भी आईजीआई एयरपोर्ट पर ब्राजील की एक महिला को दबोचा गया, जिसके पेट से कोकीन से भरे 106 कैप्सूल निकले थे।

डिलीवरी कोरियर से, भुगतान ऑनलाइन

पुलिस का कहना है कि खरीदार से सौदा तय होने के बाद कोरियर से प्रतिबंधित ड्रग्स सील पैक बॉक्स में ग्राहक को भेज दी जाती हैं। भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेशनल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर खेप मिलने पर ही भुगतान किया जाता है।

विबेर एप का प्रयोग

ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोग सौदा करने के लिए मैसेजिंग एप विबेर का प्रयोग करते हैं। ये लोग सौदा पूरा हो जाने के बाद इस एप को डिलीट कर देते हैं।

ट्रेंड बदला

रेव पार्टियों में कोकीन व हेरोइन की मांग अधिक थी। अब एलएसडी, मेफोड्रोन, केटामाइन, मेथमफेटामाइन और एमडीएमए का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान

वर्ष	गिरफ्तारी	हेरोइन	कोकीन	चरस	गांजा
2017	517	55 किग्रा	1.483ग्रा	58 किग्रा	223 किग्रा
2016	383	26 किग्रा	1.142ग्रा	42 किग्रा	201 किग्रा
2015	94	33 किग्रा	200 ग्रा	47 किग्रा	600 किग्रा

(स्रोत : दिल्ली पुलिस)

लैटिन अमेरिका, अफगानिस्तान और म्यांमार में बनने वाली ड्रग्स ज्यादातर दिल्ली की रेव पार्टियों में इस्तेमाल की जाती हैं।

संक्षेप

गाजीपुर में युवक से मोबाइल लूटा

नई दिल्ली। गाजीपुर गौशाला के पास रविवार दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने युवक पूरन सिंह से मोबाइल लूट लिया। गाजीपुर गौशाला वाली गली निवासी पीड़ित पूरन कौशांबी के ग्रांड मिलन होटल में काम करते हैं।

ब्रांडेड शोरूम में चोरी करने वाले गिरफ्तार

नई दिल्ली। कनॉट प्लेस में रविवार तड़के पुलिस ने तीन बदमाशों राजू, संजीव और नंदू रावत को धर दबोचा। ये ब्रांडेड शोरूम में चोरी करते थे। इनसे चोरी का सामान और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए गए हैं।

पर्स-मोबाइल लूटने वाला युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली । उत्तम नगर के नवादा गांव के पास शनिवार शाम युवक से मोबाइल और पर्स लूटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी शीबेश सिंह ने बताया कि आरोपी सागर उर्फ बाग्री से पर्स और मोबाइल बरामद हो गए हैं।

चौथी मंजिल से गिर कर युवती की मौत

नई दिल्ली। मुखर्जी नगर में सोमवार सुबह चौथी मंजिल से गिरकर 24 वर्षीय युवती सुनीता की मौत हो गई। युवती परिवार संग आजादपुर इलाके में रहती थी, जो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी।

ठगी का आरोपी बिल्डर एरोसिटी से दबोचा

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे ठगी के आरोपी बिल्डर विकास गुप्ता को सोमवार को एरोसिटी स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। अर्थ इंफ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गुप्ता पर नई दिल्ली के बाराखंभा थाने और नोएडा के सेक्टर 20 थाने में ठगी और फर्जीवाड़े का मामले दर्ज हैं।

आरोपी को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और नोएडा की क्राइम ब्रांच तलाश रही थी। आईजीआई एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिल्ली और नोएडा में धोखाधड़ी के मामलों में वांछित बिल्डर एरोसिटी स्थित एक होटल में आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी विकास गुप्ता को होटल से गिरफ्तार कर लिया।

विकास गुप्ता ने अपनी कंपनी अर्थ इंफ्रा स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से काफी संख्या में लोगों के साथ ठगी की थी पीड़ितों ने उसके खिलाफ बाराखंभा थाने, नोएडा के सेक्टर 20 थाने और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के कई थानों में ठगी के मामले दर्ज करा रखे थे।

शराब की होम डिलीवरी में धरा

नई दिल्ली (का.सं.)। सिविल लाइंस पुलिस ने ड्राई-डे और रात में ठेके बंद होने के बाद शराब की होम डिलीवरी करने वाले तस्कर को 1700 बोतल शराब के साथ शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है।

शनिवार को मजनू का टीला चौकी पर तैनात कांस्टेबल हरीश व कुलदीप सादी वर्दी में गश्त कर रहे थे। रात साढ़े दस बजे एक ठेके के पास कुछ लोग जमा थे। उनसे पूछताछ में मालूम हुआ कि शराब की होम डिलीवरी करने वाला गिरोह इलाके में सक्रिय है, जो फोन करने पर शराब पहुंचा देता है। इसके बाद चौकी प्रभारी गौरव और एएसआई सुरेश की टीम ने आरोपी हसमीन को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया।

'एमटेक महिला पति पर निर्भर न रहकर नौकरी खोजे'

नई दिल्ली | हेमलता कौशिक

एक उच्च शिक्षित महिला ने खुद को आर्थिक तौर पर खस्ताहाल बताते हुए पति से गुजाराभत्ता दिलाने की मांग की। मगर अदालत ने महिला की उच्च शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को आधार मानते हुए गुजाराभत्ता दिलाने से इनकार कर दिया। अदालत ने महिला को नौकरी तलाशने के लिए सात महीने का समय दिया है। अदालत ने कहा, वह जनवरी 2019 में इसका ब्योरा पेश करे।

रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार मिश्रा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब महिला नौकरी करने के योग्य न हो तब उसकी पति पर निर्भरता ठीक है। इसमें शिक्षित न होने अथवा कम शिक्षित होने या फिर शारीरिक तौर पर असमक्ष होना शामिल है। मगर महिला उच्च शिक्षित है और वह अपना खर्च उठाने की योग्यता रखती है तो उसका जबरन पति पर निर्भर रहना सही नहीं है। अदालत ने निचली अदालत के उस तर्क को भी बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया है कि महिला होने के नाते काम के लिए बाहर निकलना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इस पर सत्र अदालत ने कहा कि यह महिला इतनी पढ़ी लिखी है कि वह घर पर ट्यूशन देकर भी अच्छी कमाई कर सकती है।

पति की कमाई 44 हजार, पत्नी का मासिक खर्च 61 हजार : पत्नी की तरफ से अदालत में दाखिल गुजाराभत्ता याचिका में घर के किराए, कार लोन, टेलीफोन तथा छोटी-छोटी जरुरतों को मिलाकर 61 हजार 445 रुपये का मासिक खर्च दिखाया गया है। वहीं, उसका पति एक बैंक में नौकरी करता है और उसकी मासिक आय 44 हजार 802 रुपये है। इसी आधार पर पति ने पत्नी की गुजाराभत्ता वाली याचिका को चुनौती दी है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोट ने फैसला सुनाया।

नौकरी न मिलने के कारणों का ब्योरा देना होगा : इस मामले में अदालत ने कहा कि महिला दिसंबर 2018 तक अपनी शिक्षा के अनुसार नौकरी की तलाश करे। महिला के पास एमसीए-एमटेक की डिग्रियां हैं। वहीं, पति के अनुसार, वह असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है। इस पर अदालत ने कहा कि वह नए सिरे से नौकरी की तलाश करे। जहां भी काम की तलाश में जाए उसका ब्योरा रखे, जिसे अदालत में पेश करे।

फैसला

- महिला को दिसंबर तक नौकरी तलाशने का समय दिया
- इस दौरान पति को दस हजार रुपये प्रतिमाह खर्चा देगा होगा

दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिटन शहरों में महिलाएं परिवार का आधा आर्थिक भार उठा रही हैं। यहां तक कि अदालत कक्ष में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी महिलाएं ही हैं, जो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रही हैं। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है।

जितेन्द्र कुमार मिश्रा, एएसजे(रोहिणी)

बंसल की जमानत पर एसीबी से सवाल

नई दिल्ली (प्र.सं.)। लोक निर्माण विभाग में हुए कथित घोटाले में गिरफ्तार विनय बंसल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जवाब मांगा है। निचली अदालत बंसल को जमानत देने से इनकार कर चुकी है।

जस्टिस एसीपी गर्ग ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब देने को कहा है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। बंसल की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। उन पर जिस काम को नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है, वह पूरा हो चुका है, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट और पर्याप्त दस्तावेज बसंल के पास हैं।

भारतीय पुनर्वास परिषद
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैब्लिटेशन
बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016, फोन: 91-11-26532408, 26534287
फैक्स: 91-11-26534291, ई-मेल: rehcouncil@bol.net.in, rehabstd@nde.vsnl.net.in
वेबसाइट: www.rehabcouncil.nic.in

विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास में कैरियर बनाने का उत्कृष्ट अवसर

अकादमिक सत्र - 2018-19 के लिए सर्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय ऑनलाइन अभिक्षमता परीक्षा

भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुमोदित संस्थानों द्वारा प्रस्तावित विशेष शिक्षा/दिव्यांगता पुनर्वास में विभिन्न एक वर्षीय सर्टिफिकेट तथा दो वर्षीय डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय अभिक्षमता परीक्षा (एआईओएटी) में शामिल होने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सम्पूर्ण देश में 450 अनुमोदित संस्थानों में लगभग 17,500 सीटें उपलब्ध हैं। अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए अनुमोदित सर्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों और आरसीआई अनुमोदित संस्थानों की सूची आरसीआई वेबसाइट: http://rehabcouncil.nic.in/forms/Sublink2.aspx?lid=847 एवं http://rehabcouncil.nic.in/writereaddata/approved_inst.pdf क्रमशः में उपलब्ध हैं और संस्थानों जैसे और जब भी अनुमोदित होंगे उन्हें अद्यतन किया जाता रहेगा।

पात्रता

योगांक का न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड से 10+2 या समकक्ष। 10+2 स्तर पर परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते वे 10+2 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करें अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

एआईओएटी हेतु महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण	महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की उपलब्धता एवं ऑनलाइन पंजीकरण	21 मई, 2018 से आरंभ
ऑनलाइन पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि	20 जून, 2018 (सायं 5.00 बजे)
ऑनलाइन परीक्षा की संचालन तिथि (परीक्षा विण्डो)	30 जून, 2018
परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन परिणाम की उद्घोषणा	05 जुलाई, 2018
प्रवेश हेतु अंतिम तिथि- पहला चरण	20 जुलाई, 2018
प्रवेश हेतु अंतिम तिथि- द्वितीय चरण	30 जुलाई, 2018

परीक्षा शुल्क

भारत में बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के उपयोग द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा रु. 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) जमा किए जाने हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची, अनुमोदित संस्थानों की सूची, परीक्षा शुल्क का भुगतान, अन्य नियम एवं शर्तें आदि के संदर्भ में विस्तृत सूचना हेतु, कृपया आरसीआई की वेबसाइट: www.rehabcouncil.nic.in को लॉग ऑन करें।

(एस.के. श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

डीएवीपी 38115/11/0003/1819

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(आवास शाखा)

ध्यान दें/जरुरी सूचना
1985 रेजिडेंसियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदक के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1985 रेजिडेंसियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम (उस समय के स्लम एवं जे. जे. विभाग, डी. डी. ए) के तहत प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को सावदा घेवरा (नांगलोई क्षेत्र) में निर्मित मकान दिया जाएगा। इच्छुक प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदक इस सम्बन्ध में अपना सहमति पत्र दिनांक 10/07/2018 तक जमा करा दें। सहमति पत्र और शपथ पत्र का प्रारुप तथा आवंटन से संबंधित नियम एवं शर्तों के बारे जानकारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वेबसाइट delhishelterboard.in पर उपलब्ध है। अन्य सहायता व जानकारी हेतु आवेदक उपनिदेशक (आवास) के कार्यालय बी-3 विकास कुटीर, आई पी इस्टेट नई दिल्ली-110002 से भी सम्पर्क कर सकते है।

(वी. पी. झा)
उपनिदेशक (आवास)
दूरभाष: 011-23378419

ताजा खबरों के लिए देखें : www.livehindustan.com

एएसआई और हवलदार घूस लेते रंगेहाथ पकड़े

कलंक के खिलाफ

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा ने घूस लेने के मामले में सोमवार को बाड़ा हिंदूराव थाने में तैनात एएसआई और हवलदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे घूस में दी गई चार हजार रुपये की रकम भी बरामद कर ली है।

सतर्कता शाखा के एडिशनल सीपी ओमवीर विश्नोई ने बताया कि बीमा कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति ने सतर्कता शाखा से संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि बाड़ा हिंदूराव थाने में पत्नी ने उनके खिलाफ शिकायत दी है। थाने में तैनात एएसआई जौहरी सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की एवज में छह हजार रुपये ले लिए। अब वह चार हजार रुपये और मांग रहा है। इसके बाद सतर्कता शाखा ने पीड़ित और एक गवाह को रुपये देकर थाने भेजा, जिन्होंने एएसआई जौहरी सिंह से मुलाकात की। जौहरी सिंह ने उन्हें घूस के रुपये हवलदार प्रदीप को देने के लिए कहा। पीड़ित ने रुपये हवलदार को दे दिए। इसी बीच इशारा पाकर सतर्कता शाखा की टीम ने प्रदीप और जौहरी को पकड़ लिया। मगर इसी बीच प्रदीप ने रुपये जौहरी को थमा दिए। पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

hindustantimes htclassifieds
BOOK
Classified Advertisement
at
Classified Booking Lounge, Basement
Hindustan Times House
18-20, K.G. Marg, New Delhi-110001
Ph.: 011-66561245, 66561389
BOOKING TIMINGS
Monday to Saturday
9.30 am to 6.30 pm
Faridabad: 0129-4182023/31 • Gurugram: 0124-4210673/74
Ghaziabad: 0120-4061101/03 • Noida: 0120-4765664
For Tele-booking Call: 1800-103-1800
htclassifieds
हिन्दुस्तान क्लासीफाइड

स्वीमिंग पूल हादसे में दो लोग गिरफ्तार

फॉलोअप

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

बुराड़ी स्थित स्वीमिंग पूल में डूबने से हुई दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, सोमवार को पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम को नत्थूपुरा स्थित स्वीमिंग पूल में डूबने से नीरज और अमित नाम के युवकों की मौत हो गई थी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने विक्रम उज्जैनवाल और रमेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि यह पूल मंगेश त्यागी नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन पर बनवाया था। सूत्रों के अनुसार, मंगेश ने इसे 25 हजार रुपये प्रति माह के किराए पर विक्रम को दे दिया था। इस पूल की देखरेख रमेश के जिम्मे थी।

शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि स्वीमिंग पूल कृषि भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया है। स्वीमिंग पूल के संचालन के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। साथ ही पूल पर सुरक्षा उपकरण का भी अभाव था।